

है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापति जारी कि जा सकती है।

कुनारा - पासा नहर परियोजना के निर्माण हेतु 0.69 है० वन भूमि सिंचाई विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है।


उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील - मोरी

जनपद - उत्तरकाशी

प्रतिलिपि-जिलाधिकारी उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।


उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील - मोरी

जनपद - उत्तरकाशी